



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022022-233703
CG-DL-E-24022022-233703

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802]
No. 802]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

का.आ. 831(अ).—केन्द्रीय सरकार को, ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए काडला (गुजरात) से गोरखपुर (उ०प्र०) एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आईएचबी लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में श्री अरविंद खरे, ज्वाइंट डाइरेक्टर (सेवा निवृत्त) सक्षम प्राधिकारी आई एच बी लिमिटेड काडला-गोरखपुर एल पीजी पाइपलाइन परियोजना आदि विजनेस सेन्टर, प्लॉट नं० 78/3, केपिटल मॉल के पास, मिसरोद, होसंगाबाद रोड, भोपाल-462026 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा ;

अनुसूची

तहसील— शमशाबाद

जिला—विदिशा

राज्य—मध्य प्रदेश

गांवकानाम	खसरा नं०/ब्लॉक न०	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आर.	चौ.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पीपलधार	159	00	01	00
	160	00	17	11
	230	00	02	13
	229	00	07	49
	233	00	00	72
	234	00	15	93
	232/1239/1	00	02	78
	150	00	00	65
	149	00	11	90
	148	00	07	64
	147	00	02	07
	146	00	00	48
	145	00	20	96
	134	00	03	77
	135	00	09	87
	138	00	14	58
	136	00	07	29
	101	00	13	55
	98	00	13	81
	97	00	05	38
	95	00	03	34
	254	00	01	59
	66/1245/1	00	00	59
	256	00	27	11
	260	00	05	18
	257	00	09	29
	258	00	07	51
	334	00	02	82
	336	00	00	01
	335	00	05	98
	373	00	01	05
	414	00	03	79
	424	00	02	56
	415	00	24	26
	413	00	00	63
	412	00	08	49
	411	00	13	88
	410	00	47	00
	405/3	00	02	37

गांवकानाम	खसरा नं०/ब्लॉक न०	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आर.	चौ.मी.
	405/4	00	07	13
	555	00	01	83
	502	00	17	78
	504	00	17	66
	506	00	04	62
	549	00	09	07
	550	00	00	02
	551	00	06	56
	552	00	29	37
	563	00	09	68
	562	00	06	26
	561	00	04	26
	560	00	00	33
	1164	00	01	95
	कुल	04	43	08

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-I/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

S.O. 831(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public Interest that for the transportation of the LPG in the state of Madhya Pradesh, Pipeline Should be laid for implementing of Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project by the IHB Limited.

And Whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, It is necessary to acquire the right of user (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in.

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to ShriArvindKhare, Joint Director (Retd.) Competent Authority, IHB Limited, Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project, Adi Business Centre, Plot No. 78/3, Near Capital mall, Misrod, Hosangabad Road, Bhopal-462026 within twenty one days from the date on which the copies of this notification Issued under Sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

TEHSIL : SHAMSHABA

DISTRICT: VIDISHA

STATE: MADHYA PRADESH

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PIPALDHAR	159	00	01	00
	160	00	17	11
	230	00	02	13

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	229	00	07	49
	233	00	00	72
	234	00	15	93
	232/1239/1	00	02	78
	150	00	00	65
	149	00	11	90
	148	00	07	64
	147	00	02	07
	146	00	00	48
	145	00	20	96
	134	00	03	77
	135	00	09	87
	138	00	14	58
	136	00	07	29
	101	00	13	55
	98	00	13	81
	97	00	05	38
	95	00	03	34
	254	00	01	59
	66/1245/1	00	00	59
	256	00	27	11
	260	00	05	18
	257	00	09	29
	258	00	07	51
	334	00	02	82
	336	00	00	01
	335	00	05	98
	373	00	01	05
	414	00	03	79
	424	00	02	56
	415	00	24	26
	413	00	00	63
	412	00	08	49
	411	00	13	88
	410	00	47	00
	405/3	00	02	37
	405/4	00	07	13
	555	00	01	83
	502	00	17	78
	504	00	17	66
	506	00	04	62
	549	00	09	07
	550	00	00	02
	551	00	06	56

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	552	00	29	37
	563	00	09	68
	562	00	06	26
	561	00	04	26
	560	00	00	33
	1164	00	01	95
	Total	04	43	08

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.